(6)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी

निग- 1862-I-14

23.6.14 को
एक केस भरवा
... ...

23.6.14

१- मुन्ना सिंह तोमर पुत्र सरनाम सिंह तोमर,

२- मुकेश सिंह पुत्र मुन्ना सिंह तोमर,

निवासीगण ग्राम बरेह, तेहसील अम्बाह जिला मुरैना-

(मध्यप्रदेश) । ----- प्रार्थीगण

विरुध्द

राकेशशर्मा पुत्र अमरेश शर्मा, निवासी ग्राम बरेह,

तेहसील-अम्बाह जिला मुरैना- (म०प्र०) ।--प्रतिप्रार्थी

23.6.14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1862–एक / 14 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–07–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्वत्व घोषणा के संबंध में उन्होंने व्यवहार न्यायालय मे वाद दायर किया है इसलिये नियमानुसार उन्हे व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के लिये तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को 3 माह के लिये रोकना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य को अपने आदेश में स्वीकार किया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रार्थना की गई है ऐसी स्थिति में इस निगरानी का अंतिम निराकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वह प्रकरण में उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को तीन माह के लिये स्थगित करें ताकि आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन लिया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके । **प्रशासकीय सदस्य**	